न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 38/13/अपील

मोहनी देवी पत्नी रामदेव तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट

ब ना म

1. श्रवणी देवी पत्नी स्व. हणमान
2. सजना देवी पुत्री हणमान
3. संतरा देवी पुत्री हणमान

   समस्त जाति जाट निवासीगण लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. ग्राम पंचायत, लामियां जरिये सरपंच तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 349 दिनाक 20.06.2006
बतस्दीक ग्राम पंचायत, लामियां

निर्णय दिनांक– 23.06.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट की खातेदीर व कब्जेशुदा भूमि ख.नं. 1041 रकबा 0.41 है0, 1042 रकबा 0.35 है0, 1043 रकबा 0.72 है0, 1046 रकबा 0.30 है0, 1047 रकबा 0.28 है0, 1048 रकबा 0.70 है0, 1049 रकबा 0.42 है0, 1050 रकबा 0.66 है0, 1026 रकबा 1.32 है0, 1033 रकबा 0.46 है0, 1034 रकबा 0.58 है0, 1035 रकबा 0.53 है0, 1039 रकबा 0.29 है0, 1051 रकबा 0.66 है0 किता 14 कुल रकबा 7.68 है0 में से 1/10 हि. यानि कुल रकबा में से 0.768 है0 ग्राम शिव कृष्ण नगर प.मं. लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलांट ने अपील के पैरा सं. 1 में दर्ज भूमि का कय दिनांक 20.02.06 को इसके मूल खातेदार हनुमान पुत्र बालू से कय किया था। उक्त विकय पत्र केवल भूमि ख.नं. 1041, 1042, 1043, 1046 ता 1050 किता 8 कुल रकबा 3.84 है0 में से 1/10 हिस्से को ही कय किया था। उक्त ख.नं. में से विकेता हि0 1/10 ही था परन्तु विकय पत्र करवाते समय सहवन से 1/10 हिस्से की जगह 1/5 हि. लिखा गया जो कि गलत था। जब अपीलांट एवं विकेता को उक्त गलती का पता चला तो उप पंजीयक, दांतारामगढ के यहां पर एक शुद्धि पत्र दिनांक 27.04.06 को भूमि ख.नं. 1026, 1033, 1034, 1035, 1039, 1051, 1041, 1042, 1043, 1046 ता 1050 कुल किता 14 कुल रकबा 7.68 है0 में

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

से विकेता का संपूर्ण हिस्सा जो कि 1/10 था का करवा दिया। उक्त शुद्धि पत्र के द्वारा अपीलांट जो शुरू में जो रकबा क्रय किया था वो सही हो गया यानि संपूर्ण रकबे में विकेता का हिस्सा 1/10 था वह अपीलांट के नाम हो गया जो कि वर्तमान में चला आ रहा हैं उसी के अनुसार अपीलांट काबिज काश्तकार है। अपीलांट ने जब उक्त विक्रय पत्र व शुद्धि पत्र का ना.करण खुलवाने के लिये पटवारी को दिया तो पटवारी हल्का लामियां ने बिना जांच किये ही केवल विक्रय पत्र में दर्ज ख.नं. का ना.करण भर दिया उसने शुद्धि पत्र का कोई अवलोकन नहीं किया। जबकि विक्रय पत्र में दर्ज ख.नं. में विकेता हि. 1/10 ही था और सहवन से विक्रय पत्र में विकेता का हिस्सा 1/5 दर्ज हो गया था उसी हिस्से के अनुसार पटवारी ने ना.करण भर दिया तथा अपने उच्च अधिकारी को जांच हेतु रखा तो उच्च अधिकारी ने भी न तो जमाबंदी में विकेता के हिस्से का मिलान किया और न ही शुद्धि पत्र का अवलोकन किया। बिना जांच परख के ही ना. करण को सही होने की जांच कर तस्दीक कर दिया। हणमान की विरासत का ना.करण सं. 859 दिनांक 25.12.10 के द्वारा खोला गया था जिसके कारण रेस्पे. सं. 1 ता 3 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। पटवारी ने उक्त ना.करण तस्दीक करवाने के लिये ग्राम पंचायत की बैठक में रखा तो रेस्पो. सं. 4 ने भी न तो विक्रय पत्र का अवलोकन किया न ही शुद्धि पत्र का तथा न ही जमाबंदी का अवलोकन किया बिना जांच पड़ताल ही पटवारी के द्वारा पेश करने पर तस्दीक कर दिया जो विधि के अनुसार नहीं है। रेस्पो. सं. 4 की यह जिम्मेदारी बनती है। वह ना.करण तस्दीक करने से पहले उक्त ना.करण तस्दीक करते समय रेस्पो. सं. 4 ने इसका कही भी पालन नहीं किया। अपीलांट क्रय के दिन से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। अपीलांट को उक्त ना.करण गलत होने की जानकारी दिनांक 24.08.13 को बैंक से लॉन लेने के लिये जमाबंदी की नकल पटवारी से लेने पर हुई तो अपीलांट ने पटवारी से पूछा कि मैंने तो हणमान से 0.768 है0 भूमि क्रय की थी। मेरे इतनी कम भूमि कैसे है तो पटवारी ने कहा कि आप तहसील में जाकर इसका पता लगाओ। जब अपीलांट तहसील कार्यालय में आई तो उसने राजस्व कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि आपने जो भूमि हणमान से क्रय की थी उसका ना.करण ही गलत भर दिया गया उसी के अनुसार आपके खातेदारी दर्ज है। अपीलांट ने कहा कि मैंने तो हणमान का संपूर्ण हिस्सा यानि 0.768 है0 में से 0. 768 भूमि का क्रय किया था। मेरे इतनी कम का ना.करण कैसे खुला तो राजस्व कर्मचारियों ने कहा कि ना.करण की नकल लेकर उपखण्ड अधिकारी कोर्ट में इसकी अपील करों। तब अपीलांट ने दिनांक 25.08.13 को नकल का आवेदन कर दिया तथा अपीलांट को उक्त ना.करण की नकल दिनांक 28.08.13 को मिली तथा अविलम्ब ही उक्त ना.करण की अपील माननीय न्यायालय में पस्तुत कर दी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश कर अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ना.करण सं. 349 दिनांक 20.06.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत, लामिया को खारिज किया जाकर अपीलांट के हिस्से को शुद्धि करने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावें।

2. अपील पेश होने पर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विकय पत्र केवल भूमि ख.नं. 1041, 1042, 1043, 1046 ता 1050 किता 8 कुल रकबा 3.84 है0 में से 1/10 हिस्से को ही कय किया था। उक्त ख.नं. में से विकेता हि0 1/10 ही था परन्तु विकय पत्र करवाते समय सहवन से 1/10 हिस्से की जगह 1/5 हि. लिखा गया जो कि गलत था। जब अपीलांट एवं विकेता को उक्त गलती का पता चला तो उप पंजीयक, दांतारामगढ के यहां पर एक शुद्धि पत्र दिनांक 27.04.06 को भूमि ख.नं. 1026, 1033, 1034, 1035, 1039, 1051, 1041, 1042, 1043, 1046 ता 1050 कुल किता 14 कुल रकबा 7.68 है0 में से विकेता का संपूर्ण हिस्सा जो कि 1/10 था का करवा दिया। उक्त शुद्धि पत्र के द्वारा अपीलांट जो शुरू में जो रकबा कय किया था वो सही हो गया यानि संपूर्ण रकबे में विकेता का हिस्सा 1/10 था वह अपीलांट के नाम हो गया जो कि वर्तमान में चला आ रहा हैं उसी के अनुसार अपीलांट काबिज काश्तकार है। अपीलांट ने जब उक्त विकय पत्र व शुद्धि पत्र का ना.करण खुलवाने के लिये पटवारी को दिया तो पटवारी हल्का लामियां ने बिना जांच किये ही केवल विकय पत्र में दर्ज ख.नं. का ना.करण भर दिया उसने शुद्धि पत्र का कोई अवलोकन नहीं किया। जबकि विकय पत्र में दर्ज ख.नं. में विकेता हि. 1/10 ही था और सहवन से विकय पत्र में विकेता का हिस्सा 1/5 दर्ज हो गया था उसी हिस्से के अनुसार पटवारी ने ना.करण भर दिया तथा अपने उच्च अधिकारी को जांच हेतु रखा तो उच्च अधिकारी ने भी न तो जमाबंदी में विकेता के हिस्से का मिलान किया और न ही शुद्धि पत्र का अवलोकन किया। बिना जांच परख के ही ना. करण को सही होने की जांच कर तस्दीक कर दिया। पटवारी ने उक्त ना.करण तस्दीक करवाने के लिये ग्राम पंचायत की बैठक में रखा तो रेस्पो. सं. 4 ने भी न तो विकय पत्र का अवलोकन किया न ही शुद्धि पत्र का तथा न ही जमाबंदी का अवलोकन किया बिना जांच पड़ताल ही पटवारी के द्वारा पेश करने पर तस्दीक कर दिया जो विधि के अनुसार नहीं है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर ना. करण सं. 349 दिनांक 20.06.2006 बतस्दीक ग्राम पंचायत, लामिया को खारिज

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

किया जाकर अपीलांट के हिस्से को शुद्धि करने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावें।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। विकय पत्र दिनांक 20.02.06 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 27.04.06 एवं इनके आधार पर भरा गया ना.करण सं. 349 दिनांक 20.06.06 व जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 15 ग्राम शिवकृष्णनगर प.मं. लामिया का अवलोकन किया गया। विकय पत्र दिनांक 20.02.06 के अनुसार अपीलार्थीनी द्वारा ग्राम लामिया की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 1041 ता 1043, 1046 ता 1050 किता 8 कुल रकबा 3.84 है0 में से 1/5 हि. को कय किया गया है इसके पश्चात् शुद्धि पत्र दिनांक 27.04.2006 के द्वारा उक्त ख.नं. के स्थान पर ख.नं. 1026, 1033 ता 1035, 1039, 1051 को जोड़ते हुए किता 14 कुल रकबा 7.68 है0 में से हि. 1/10 हि. की 0.768 है0 भूमि का बेचान पढ़ा, माना एवं समझा जावें, का शुद्धि पत्र करवाया गया। पटवारी हल्का, लामिया द्वारा भरे गये ना.करण सं. 349 द्वारा किता 8 कुल रकबा 3.84 है. ग्राम शिवकृष्णनगर में हि. 1/5 के स्थान पर 1/10 का अंकन किया गया है उसी के अनुसार जमाबंदी संवत् 2067–70 में उक्तानुसासर अंकन हो गया है। शुद्धि पत्र में हि. के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरों का वर्णन किया गया है जो बेचान की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया ना.करण सही है। शुद्धि पत्र के द्वारा विकय पत्र में लिपिकीय त्रुटि तो सुधारी जा सकती है लेकिन अन्य जमाबंदी के चुन–चुन कर खसरा नम्बरों का वर्णन करते हुए जो शुद्धि पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है उसको शुद्धि पत्र की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार अपील अपीलार्थीनी सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. यह आदेश आज दिनांक 23.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ